रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 571] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 8, 1996/आश्विन 16, 1918
No. 571] NEW DELHI, TUESDAY, 8th OCTOBER 1996/ASVINA 16, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1996

(आयकर)

का. आ. 696 (अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एच. बी. पोर्टफोलियो लीजिंग लिमिटेड और एच. बी. ट्रस्ट लिमिटेड के बीच दिनांक 4-10-1994 के न्यास के विलेख के अन्तर्गत स्थापित और दिनांक 26-10-1994 के पंजीकरण कोड सं. एम.एफ./016/94/6 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युच्युअल फंड) विनियम, 1993 के विनियम 9 के अन्तर्गत पंजीकृत "एच. बी. म्युच्युअल फंड" को म्युच्युअल फंड के रूप में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है ।

[अधिसूचना सं. 10212/फा. सं. 194/10/95-आयकर नि.-I]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 1996

(INCOME TAX)

S.O. 696 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies "HB Mutual Fund" set up under the Trust Deed dated 4th October, 1994 between HB Portfolio Leasing Limited and HB Trust Limited, and registered with securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations, 1993 vide registration code MF/016/94/6, dated 26th October, 1994 as a Mutual Fund for the purpose of the said clause.

[Notification No. 10212/F. No. 194/10/95-ITA-I]

H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996